सं. 68] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2007/चैत्र 12, 1929
No. 68] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2007/CHAITRA 12, 1929

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 29 मार्च, 2007

सं. टीएएमपी/33/2003-एनएमपीटी.–महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, दीर्घावधि/अल्पावधि आधार पर, न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि के पट्टा किराये की वैधता को विस्तार प्रदान करता है।

अनुसूची

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) आवेदक

आदेश

(मार्च 2007 के 28वें दिन पारित)

दीर्घावधि/अलपावधि आधार पर, न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा आबंटित भूमि के पट्टा किराये को पिछली बार इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2005 को संशोधित किया गया था। उक्त आदेश को राजपत्र सं 11 द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था । इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराये दिनांक 20 फरवरी, 2002 के पूर्वव्यापी प्रभाव से, पांच वर्ष की अवधि की वैधता सहित अर्थात् 19 फरवरी, 2007 तक लागू किए जाने योग्य थे ।

2. एनएमपीटी अपने प्रस्ताव पर, पत्तन उपभोक्ताओं से प्राप्त किये गये विचारों को समाविष्ट करने के बाद, पट्टा किराये के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव अल्पावधि में, दाखिल करने के लिए सहमत हो गया है । इस बीच में, उसने यह अनुरोध किया है कि एनएमपीटी द्वारा दाखिल किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा पट्टा किराया संशोधित किये जाने तक, वर्तमान पट्टा किराये को 2% वार्षिक वृद्धि सहित लगाने के लिए अनुमति प्रदान की जाये ।

3.1 चूंकि एनएमपीटी द्वारा आबंटित भू-खंडों के वर्तमान पट्टा किराये की वैधता दिनांक 19 फरवरी, 2007 को समाप्त हो गयी है, वर्तमान पट्टा किराये की वैधता को 19 फरवरी, 2007 से आगे विस्तारित करना आवश्यक हो गया है । तथापि, पट्टा किराये की विस्तारित वैधता के लिए छ: माह की एक बाह्य सीमा को निर्धारित करना उचित पाया गया है ।

3.2 महापत्तनों की भूमि नीति पर फरवरी/मार्च, 2004 में सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश यह निर्धारित करते हैं कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित किये जाने तक, प्रतिवर्ष पट्टा किराये में 2% की वृद्धि की जायेगी । जनवरी 2005 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया

गया आदेश भी, सरकारी मार्गदर्शन के निबंधनों के अनुसार इस शर्त को निर्धारित करता है । इस प्राधिकरण द्वारा दरों को संशोधित किये जाने तक, वर्तमान पट्टा किराये की अनुसूची पहले ही, पट्टा किरायों में 2% वार्षिक वृद्धि सुलभ करवाती है ।

4. इसके परिणामस्वरूप और ऊपर दिये गये कारणों से और, सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण एनएमपीटी द्वारा आबंटित भूमि हेतु वर्तमान पट्टा किराये की वैधता को, वर्तमान वैधता की समाप्ति की तिथि से छः माह की अवधि के लिए अथवा एनएमपीटी द्वारा दाखिल किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव पर संशोधित पट्टा किराये की अधिसूचना की प्रभावी तिथि से, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करता है । एनएमपीटी को यह सलाह दी जाती है कि भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना तिथि से लेकर 30 दिनों के अंतर्गत पट्टा किराये के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करें ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2007/असा.]